



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2004/पौष 22, 1925

No. 47]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2004/PAUSA 22, 1925

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

का.आ. 54(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ बहत्तरवां संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) "5. कोयला मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उप-शीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"5. कोयला और खान मंत्रालय

(i) कोयला विभाग

(ii) खान विभाग";

(ख) "22. खान मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "कोयला मंत्रालय" शीर्षक तथा सत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"कोयला और खान मंत्रालय

क. कोयला विभाग

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों की खोज और विकास।

2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले।

3. उनसे भिन्न, जिनके लिए इस्पात विभाग उत्तरदायी है, कोयला धोवनशालाओं का विकास और प्रचालन।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।

(1)

6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
7. कोयला खान कल्याण संगठन।
8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन।
10. खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अन्तर्गत नियम।
11. कोयला-धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।
12. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघ विधियों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और विधियों का संबंध कोयला और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कारबार, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न भी हैं।

ख. खान विभाग

1. (क) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधान, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्विपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर समुद्र अधःशायी खानों और खनिज भी हैं।
 - (ख) कोयला, लिग्नाइट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्रणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजन के लिए विहित पदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामले भी हैं।
 2. सभी ऐसे अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आर्बाटित नहीं हैं जैसे अल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल।
 3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता।
 4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण।
 5. भारतीय खान ब्यूरो।
 6. मेटलार्जिकल ग्रेड सिलिकॉन।'';
- (ख) "खान मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।''।

आ.प.जै. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2004-कैब.]

बी.बी. जैन, अवर सचिव

**CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2004

S.O. 54(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and seventy-second Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—
 - (1) in the First Schedule,—
 - (a) for the heading "5. Ministry of Coal (Koyala Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—
"5. Ministry of Coal and Mines (Koyala aur Khan Mantralaya)

- (i) Department of Coal (Koyala Vibhag)
(ii) Department of Mines (Khan Vibhag)”;
(b) the heading “22. Ministry of Mines (Khan Mantralaya)” shall be omitted;
- (2) in the Second Schedule,-
(A) for the heading “MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)” and the entries relating thereto, the following heading and sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
“MINISTRY OF COAL AND MINES (KOYALA AUR KHAN MANTRALAYA)
A. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)
1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.
2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.
3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel is responsible.
4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.
5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).
6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.
7. The Coal Mines Welfare Organisation.
8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).
9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).
10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.
11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).
12. Administration of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.
B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)
1.(a) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.
(b) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any other mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union as declared by law, including questions concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto.
2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Ministry/Department, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.
3. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
4. Geological Survey of India.
5. Indian Bureau of Mines.
6. Metallurgical Grade Silicon.”;
- (B) the heading “MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)” and the entries relating thereto shall be omitted.”.

A.P.J. ABDUL KALAM
President

[F. No. 1/22/1/2004-Cab.]

B.B. JAIN, Under Secy.